



27-12-24

पंजाबली प्रार्थी के प्रार्थना का पत्र पेश करी
 प्रार्थी द्वारा वादपत्र द्वारा कम्पाजा जा चुका है।
 अतः इस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का कोई
 औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र
 212 आरटीए इसी ताल पर द्वारा निपटा
 जाता है। पंजाबली फ़ैमल शुमार डीकल नंबर
 में कम डीकल दाखिल पप्तल ही 


 अखिल भारतीय
 नदबई (मजलूर)